

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

क्रमांक/14वें वित्त/पंचा./पंग्राविवि/2018/437
प्रति,

अटल नगर, रायपुर दिनांक 10.09.18


अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
कृषि/पशुपालन/उद्यानिकी/महिला एवं बाल विकास/राजस्व/वन/उद्योग/लोक स्वास्थ्य
एवं यांत्रिकी/विद्युत/शिक्षा/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/समाज कल्याण/आदिम जाति
कल्याण/सहकारिता/पर्यटन/संस्कृति एवं पुरातत्व/उर्जा/मत्स्य पालन/खाद्य नागरिक
आपूर्ति/लोक निर्माण/खादी एवं ग्रामोद्योग/जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
विषय :- ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) "सबका योजना-सबका विकास" के अंतर्गत
प्रशिक्षण के संबंध में।
संदर्भ - भारत सरकार के पत्र क्रमांक D.O. No. 14016/02/2018-PC दिनांक 13 अगस्त 2018.

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत जीपीडीपी निर्माण हेतु दिनांक 02 अक्टूबर 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक "सबकी योजना-सबका विकास" अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान में पूर्व वर्ष की भौति प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा 'ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान' (जीपीडीपी) का निर्माण ग्राम सभा में सभी वर्ग समूहों, जनप्रतिनिधि, प्रत्येक विभाग के मैदानी अमले व स्वसहायता समूह के सदस्यों की सहयोग से किया जाना है। इस हेतु विभाग द्वारा राज्य, जिला, जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए फैंसलिटेटर की नियुक्ति पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही है।

राज्य स्तर पर प्रत्येक विभाग के नोडल अधिकारी (स्रोत व्यक्तियों) का प्रशिक्षण दिनांक 17 एवं 18 सितम्बर को ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं प्रशिक्षण संस्थान निमोरा, में प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके लिए अपने विभाग की एक अधिकारी का नामांकन दिनांक 14.09.2018 तक संचालक, SIRD को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

यह योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में है, अतएव कृपया इसे प्राथमिकता दें।



(आर.पी. मण्डल)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
अटल नगर, दिनांक 10.09.18

पृ.क्रमांक/14वें वित्त/पंचा./पंग्राविवि/2018/438

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, मनरेगा, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ।
2. संचालक, SIRD निमोरा, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संचालक, SRLM इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ।
4. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ।
5. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
6. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संचालक, प्रदान/समर्थन/..... कृपया उक्त प्रशिक्षण हेतु 01 अधिकारी नामांकित करने का कष्ट करें।
9. संबंधित प्राचार्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग